

Area of 30M.W Power Plant Village-Kasaipali Existing (Unit-1)

A.C.B. Purchased Land

Acquired Land

S N0	Khasara no	Aren in Hectares	S No	khasasra	Aren in Hectares
1	190/1	0.081	1	190/2	0.020
2	190/3	0.020	2	191/2	0.081
3	191/1	0.162	3	193/1	0.170
4	192/1	0.129	4	193/3	0.142
5	192/2	0.040			0.413
6	193/2	0.020			
7	195/2च	0.384			
8	195/3घ	0.012			
9	195/3ख	0.728			
10	256/1ठ	0.202			
11	256/1ष	0.405			
12	256/1य र	0.780(Half)			
13	256/3	0.607			
14	257	0.324			
		3.894			

A.C.B.Purchased and Acquired land – Total Land.**4.307 Hect./10.64 Acre**

अदालत की 516244/2003 विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रध्याजि तथा जुर्माना का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

बनाम

श्री. सालाराम आत्मक मोखन निवासी ग्राम कसरपाली
पट. ह. नं. 31 तहसील कटघोरा जिला कोरबा

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-कायदाकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व ब्याज का 142/362/02 के अंतर्गत कमेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा के आदेश दिनांक 6-8-2003 अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारित किया गया है :-

ग्राम ग्राम भूय बन्दोबस्त नम्बर, व. ह. नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
ग्राम <u>कसरपाली</u>	<u>187/2</u>	<u>0.202</u>	व्यवसायिक प्रयोजन हेतु
पट. ह. नं. <u>31</u>	<u>188/2</u>	<u>0.081</u>	पुनर्निर्धारण <u>1460.00</u> रु. एवं
राजनि. नं. <u>कटघोरा</u>	<u>190/1</u>	<u>0.081</u>	पंचायत <u>उपडर 730.00</u> रु.
तहसील <u>कटघोरा</u>	<u>195/3छा</u>	<u>0.012</u>	निर्धारित किया गया। तथा
जिला <u>कोरबा</u>	योग <u>4</u>	<u>0.376</u> हे. (<u>40548' वर्ग फुट</u>)	देय दिनांक <u>1-10-2002</u> से
			होगा।
			कूलि भू-राजस्व <u>0.35</u> रु. निरस्त किया गया।
			तालान रु. <u>28/5</u> दिनांक <u>18-8-2003</u> के द्वारा
			पुनर्निर्धारण <u>1460.00</u> रु. प्रत्येकी <u>5652.00</u> रु. तथा
			तालान रु. <u>28/25</u> दिनांक <u>18-8-2003</u> के द्वारा <u>730.00</u>
			रुपये स्टोर बैंक <u>कटघोरा</u> में जमा किया गया।

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि कायदाकारी भूमि को गैर-कायदाकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप पर प्रीमियम (प्रध्याजि) 5.652.00 रुपया और जुर्माना रुपया किया जाता है जो आप खजाने में जमा कर तालान दिनांक या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें।

Shikam
अधीक्षक

विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
कोरबा जिला, कोरबा
21-8-2003

15.12.1962

(2) आपकी यह भी पुष्टि किया जाता है कि कोयंबाटूर शक्ति को भीर-कोयंबाटूर शक्ति में परिवर्तित किए जाने में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे।

18.10.2020
Dr. P. S. S. S. S.

[illegible]

“ମୁଁ,” କବି ବସନ୍ତ

अबालत श्री. श्री. ०८५१०३७२... विद्योत कर्तव्य आवाकाश (परिवर्तित श्री)

Seite 2-8

अवास्त श्री 310250021000 विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रव्याज तथा जुर्माना का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

बनाम

श्री सुरवीर आत्मज श्रीमसाय रावत निवासी ग्राम कसईपाली
पट. ह. नं. 31 तहसील कटघोरा जिला कोरबा

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-कायकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला
क्रमांक 130/312/02-03 के अंतर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा के आदेश दिनांक 16.8.2003
5 अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारित किया गया है :-

ग्राम ग्राम भूय बन्दोबस्त नम्बर, व. ह. नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
---	--	-----------------------------	---

ग्राम - कसईपाली
पट. ह. नं. 31
रा. नं. 0 कटघोरा
तहसील - कटघोरा
जिला - कोरबा

191/17

0.50 एकड़

192/24

21800' कर्गु

व्यवसायिक प्रयोजन हेतु
पुनर्निर्धारण 785.00 रु.
पंचायत उपकर 393.00 रु.
निर्धारित किया गया। देय
दिनांक 1-10-2002 एवं
कृषि भू-राजस्व 0.20 रु.
निरस्त किया गया।



चालान क्रं 28/14 दिनांक 18-8-2003 के अनुसार
पुनर्निर्धारण 785.00 रु. प्रव्याज 3039.00 रु. स्टैट्यूट
कटघोरा में जमा किया गया।
चालान क्रं 28/34 दिनांक 18-8-2003 का 393.00 रु.
पंचायत उपकर राशि स्टैट्यूट कटघोरा में जमा किया गया।

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि कायकारी भूमि को गैर-कायकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप
राप पर प्रीमियम (प्रव्याज) 3039.00 रु. रुपया और जुर्माना रुपया किया जाता है जो आप बजाने
कर चालान दिनांक या इसके पूर्व इस अवास्त में प्रस्तुत करें।

(Signature)
अधीक्षक

विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
कोरबा ईकाई, कोरबा

अदालत श्री डी.एच. डाकुंर विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रध्याजि तथा जुर्माना का भुचन-पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

धनाम

श्री रमेश कुमार आत्मज सुदेव लाल निवासी ग्राम चाका बुड़ा
पट. ह. नं. 31 तहसील कुरघौर जिला कोरबा
(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला
क्रमांक 138/81-2/2002 के अंतर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी कुरघौर के आदेश दिनांक ... 6-8-2003
के अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारित किया गया है :-

ग्राम ग्राम मय बन्दोबस्त नम्बर, व. ह. नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
--	--	-----------------------------	---

ग्राम-कसईपाली
प-ह-नं. 31
रा. वि. नं. वतहसील
कुरघौर
जिला-कोरबा

193V
2

01020
21800 कड़ि
व्यवसायिक

पुनर्निर्धारण 78=8
देयदिनांक 1-10-2002
कालबरी राजस्व 0-03 पैसा
निरस्त किया गया।

प्लॉट क्रमांक 28/19 दिनांक 18-8-2003 के अनुसार
पुनर्निर्धारण 78=8 रूपए एवं सी. वि. नं. 305=0 रूपए
कुल 383=0 जमा किया गया दिनांक 1-10-2002 से 30-9-2003 तक
प्लॉट क्रमांक 28/36 दिनांक 18-8-2003 के अनुसार
पेनाल्टी रूपए 39=0 रूपए जमा किया गया।



(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि को गैर-काश्तकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप
आप पर प्रीमियम (प्रध्याजि) 305=00 रुपया और जुर्माना रुपया किया जाता है जो आप अज्ञाने
में कर चालान दिनांक या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें।

Signature
अधीक्षक

विशेष महान्यायमित्र (परिवर्तित भूमि)
कोरबा ईकाई, कोरबा, 2003

अदालत की डी० एस० ठाकुर विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रध्याजि तथा जुर्माना का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

बनाम

बी. पोराराम आत्मज स्व. स्मरण राम निवासी ग्राम कसईपाली
एड. ह. नं. 31 तहसील कटहोरा जिला कोरवा

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-कायदाकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला
क्रमांक 141/372/02-03 के अंतर्गत कमेन्टर/अनुविभागीय अधिकारी कटहोरा के आदेश दिनांक 6-8-2003
के अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारित किया गया है :-

ग्राम ग्राम भव बन्दोबस्त नम्बर, व. ह. नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
--	--	-----------------------------	---

ग्राम कसईपाली प. ह. नं. - 31 रा. नि. मं. कटहोरा तहसील - कटहोरा जिला - कोरवा	195/2च 196/2 256/1त	0.384 0.138 0.206	आवसायिक प्रयोजन हेतु पुनर्निर्धारण 2825.00 रु. पंचायत उपकर 1413.00 रु. निर्धारित किया गया। देय दिनांक 1-10-2002 से लागू। कुल शु. राजस्व 0.50 रु. निरस्त किया गया।
	योग 3	0.728 हे. 1.80 एकर (78480 वर्ग फुट)	
			चालान रु. 28/16 दिनांक 18-8-2003 के द्वारा पुनर्निर्धारण 2825.00 रु. प्रचालनी 10941.00 रु. लघु चालान रु. 28/32 दिनांक 18-8-2003 के द्वारा 1413.00 रु. स्टेर बैंक कटहोरा में जमा किया गया।

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि कायदाकारी भूमि को गैर-कायदाकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप
आप पर प्रीमियम (प्रध्याजि) 10941.00 रु. तथा और जुर्माना... रु. लगाया गया है जो आप चयनित
बसा कर चालान दिनांक... या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें।

[Signature]

विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)

अदालत श्री डी० एस० ठाकुर विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रव्याजि तथा जुर्माना का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

बनाम

श्री विष्णु आत्मज मोटेलाल निवासी ग्राम कसईपाली
पट. ह. नं. 31 तहसील कटघोरा जिला कोरबा
(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला
क्रमांक 123/अ-2/02/03 के अंतर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा के आदेश दिनांक 6-8-2003
5 अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारित किया गया है :-

ग्राम ग्राम मय बन्दोवस्त नम्बर, व. ह. नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
--	--	-----------------------------	---

ग्राम - कसईपाली
पट ह नं 31
राज निर्म - कटघोरा
तहसील - कटघोरा
जिला - कोरबा

256

1 ए

1.00

(43600'वर्गफुट)

व्यवसायिक प्रयोजन हेतु
पुनर्निर्धारण 1570.00 रु.
एवं पंचायत उपकर 785.00 रु.
निर्धारित किया गया। तथा
देय दिनांक 1-10-2002,
कृषि भू-राजस्व 0.19 रु.
निरस्त किया गया।



चालान क्र 28/27 दिनांक 18-8-2003 के द्वारा
पुनर्निर्धारण 1570.00 रु., प्रव्याजी 6078.00 रु. कुल
7648.00 रु. तथा चालान क्र 28/17 दिनांक 18-8-03
के द्वारा पंचायत उपकर 785.00 रु. स्टैट बैंक कटघोरा
में जमा किया गया।

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि को गैर-काश्तकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप
राज पर प्रीमियम (प्रव्याजि) 6078.00 रुपया और जुर्माना रुपया किया जाता है जो आप खजाने में
जमा कर चालान दिनांक या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें।

Signature
अधीक्षक

विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
कोरबा ईकाई, कोरबा
21-8-2003

न्यायलय अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि
कोरबा, जिला - कोरबा (छ.ग.)

अदालत श्री डा. एस. टी. २७२ विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रव्याजि तथा जुर्माना का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

कार्यन क्लेन केनि डिडेशन प्रा. लि.

बनाम

दादा - श्री श्याम सुन्दर

आत्मज सत्यनारायण

निवासी ग्राम दीपक

पट. ह. नं. 21

तहसील कुटुबारा

जिला कोरवा

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व माफग
क्रमांक 124/372/05-06 के अंतर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी कटघोरे के आदेश दिनांक 24-4-06 के
अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारण किया गया है :-

नाम ग्राम मय बन्दोबस्त नम्बर व. ह. नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
ग्राम - कसईपाली पठ ह० नं० 31 तहसील - कटहोरा जिला - कोरवा	256/1य} 256/1र}	0.061 1.500 1.561 हे० 3.86 एकड़	व्यवसायिक प्रयोजन हेतु पुनर्निर्धारण 6059.00 रुपये पंचायत उपकर 3030.00 रुपये वर्ष 1-10-05 से निर्धारित किया गया। तथा कुल १- राजा 0.78 रुपये निरात किया गया।

जमा कर (2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काशतकारी भूमि को गैर-काशतकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप पर प्रामाण्य (प्रव्याज) 23462.00 रुपया और जुर्माना 10000 रुपया किया जाता है जो आप स्वयंसेवक जमा कर चालान दिनांक 15 दिवस या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें.

अधीक्षक

विशेष-आमलख परिहर्तुं भविष्यति

कोरबा, जिला - ...